## चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

**कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110 005**
**कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम, मोबाइल नंबर 8287233717**

### सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा **1. श्याम सोनिक, 2. सोनिया सोनिक उर्फ सोनिया सोनिक :– ऋण खाता सं. X0HEELD00001448006 तथा XCMFDHE00001090996)** को सूचित किया जाता है कि **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड** ने इसकी प्रतिभूत आस्ति सम्पत्ति **"सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** ग्राम चौखंडी, कालोनी मुखराम पार्क एक्सटेंशन के नाम से ज्ञात, चौखंडी रोड, पोस्ट ऑफिस तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 में स्थित खसरा नंबर 12/5 में प्लॉट नंबर 1 पर निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड–1 का पोर्शन, क्षेत्रफल परिमाप 40 वर्ग गज यानी 33.5 वर्ग मीटर, **चौहद्दी : पूरब :** बाकी हिस्सा, **पश्चिम :** अन्य सम्पत्ति, **उत्तर :** मेन रोड, **दक्षिण :** अन्य की सम्पत्ति" का भौतिक कब्जा ले लिया है।

"कि उपरोक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा 19–02–2024 को माननीय सीएमएम (पश्चिम) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत पारित सरफासी आदेश के माध्यम से लिया था। कृपया अपनी सभी चल वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा हम चल वस्तुएं अपने वेयरहाउस स्थानांतरित कर देंगे और हम चल वस्तुओं को सार्वजनिक नीलामी में रखेंगे।

**कृपया नोट करें कि प्रतिभूत आस्ति से वस्तुएं हटाने के लिए यह अंतिम और आखिरी अवसर है।**

**स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 24-09-2024 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**

---

## चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

**कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 और सी 55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600 032, टी.एन.**

### मांग सूचना

**सुरक्षा हित के प्रावधानों के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के आदेश सूचना**

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) का अधिनियम प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस जारी किया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत, निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा चिपकाने और प्रकाशन से प्रभावित हो रही है। मांग नोटिस की विवरण नीचे दी गई है:–

| क्रं. सं. | उधारकर्ता/ओं और सह–उधारकर्ता/ओं का नाम और पता | ऋण राशि | मांग सूचना की तारीख एवं ओ/एस की राशि. | संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ऋण खाता संख्याः HL22LUC000093339**<br>**1. श्री/श्रीमती रोहित कुमार**<br>**2. श्री/श्रीमती निर्मला देवी**<br>**दोनों निवासी–**तहसील मेजा ग्राम दिघलो, पोस्ट खुटा, जोरा, धांधू पुल के पास, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 212106। साथ हीः मकान नंबर रे 01, खसरा नंबर 409 एम 1, प्रेम नगर कॉलोनी, गांव लौलाई, परगना और तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226010। | – /000000 30 रुपये | 19.09.2024<br>रु. 31,50,486/–<br>(रुपये इकतीस लाख पचास हजार चार सौ छियासी मात्र) 18.09.2024 तक | आवासीय मकान संख्या आर.ई–01 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा, खसरा संख्या 409 का भाग, 1000 वर्ग फुट क्षेत्रफल, प्रेम नगर कॉलोनी, ग्राम लौलाई, परगना एवं तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226010 में स्थित है। और इसकी सीमाः – पूर्वः चौड़ी सड़क 20 एफ. |

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें। भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है, जो कि उसके द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। उधारकर्ता यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित ऋणदाता सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा। इसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित ऋणदाता को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित ऋणदाता को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित ऋणदाता के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति(संपत्तियों) के निपटान या उसके साथ व्यवहार करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोकाधनिषिद्ध किया गया है। सुरक्षित ऋणदाता और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

**हस्ता/–**
**प्राधिकृत अधिकारी**
**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए**

**स्थानः** लखनऊ,, उत्तर प्रदेश
**दिनांक :**19.09.2024

---

## आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266**
**शाखा कार्यालय- 12वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063, महाराष्ट्र**

### मांग सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 ('नियम') के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 13(2) के अंतर्गत**

अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (एबीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना ??है कि कर्जदार मांग सूचना की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस चिपकाने और प्रकाशित करने के द्वारा सर्व की जा रही है। मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त कर्जदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर एबीएफएल को उनके संबंधित नामों के सामने नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही नीचे कॉलम (डी) में उल्लिखित संबंधित तारीखों से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, जिसे कर्जदार द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित के अनुसार अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत संपत्तियां क्रमशः उक्त कर्जदार द्वारा एबीएफएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

| क्र. सं. | कर्जदार(रों) का नाम तथा ऋण खाता संख्या | मांग सूचना की तिथि तथा एनपीए तिथि | अचल सम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. रामभेहर सिंह, पुत्र ज्ञानी राम 2. कमला देवी, पुत्री। दलीप सिंह पताः 1: हरि नगर, नरवाना, जींद- 126116, हरियाणा। इसके अलावाः राममेहर सिंह, राममेहर डेयरी के मालिक, बजाजी कॉलोनी, हुडा सेक्टर-18 के पास, कैथल-136027, हरियाणा, इसके अलावाः 13, गली नंबर 1, हरिनगर, वार्ड नंबर 20, नरवाना, जिंद -126116 हरियाणा। इसके अलावाः मकान नंबर - 295ई-ए, वार्ड नंबर 20, हरि नगर, नरवाना, जिंद-126116, हरियाणा<br>ऋण खाता नंबर **ABNKSTS000000709738** | 18.09.2024 & 03.09.2024<br>कुल बकाया राशि<br>रु. 39,94,695/– तिथि 14.09.2024 तक | प्लॉट का वह समस्त भाग जिसका क्षेत्रफल 132 वर्ग गज है, 1 कनाल 7 मैरी जमीन, खेवट और खाता नंबर 1505/2407 में शामिल, मुरब्बा नंबर खसरा 305//3/1/1(0-19), 13/1/3(0-8) जमाबंदी नंबर 2013-2014 के तहत, आबादी हरि नगर, तहसील-नरवाना, जिला जींद, हरियाणा में स्थित है, ट्रांसफर डीड नंबर 3751 दिनांक 31/10/2018 के तहत है और सीमाएंः- पूर्वः धर्मेंद्र कुमार पुत्र हवा का घर; 66 फीट, पश्चिमः पिरथी सिंह का घर; 66 फीट, उत्तरः राजबाहा रतड़ी; 18 फीट, दक्षिणः सड़क 20 फीट चौड़ी; 18 फीट। |

अतिरिक्त ब्याज के साथ, ऊपर उल्लिखित संबंधित मांग सूचना में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित। यदि उक्त कर्जदार एबीएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के खिलाफ पूरी तरह से उक्त कर्जदार/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर लागत और परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा।

उक्त अधिनियम के तहत कर्जदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को एबीएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति/अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने की मनाही है। कृपया ध्यान दें कि यह वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के तहत एक अंतिम नोटिस है। कहने की जरूरत नहीं है कि एबीएफएल कर्जदारों के खिलाफ पूरी तरह से उनके जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर ऊपर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

**हस्ता./-**
**प्राधिकृत अधिकारी,**
**आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड**

**स्थानः हरियाणा**
**दिनांकः** 24.09.2024

---

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात "अधिनियम") के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) और शाखा कार्यालय 30/3डी, ऊपरी भूतल, मियावली मार्ग, नई दिल्ली-110015/तृतीय तल, नेरी टावर, 01 पिल्लर्स एन्क्लेव, मल्लपुर चौक, जीएमएस रोड, देहरादून-248001 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी ("एजे") ने आईआईएफएल-एचएफएल के कर्जदारों की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉजेक्ट्स में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का "जहाँ है जैसे है" तथा "जो है वही है" आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा ले लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **www.iiflonehome.com** पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

| कर्जदार/कर्जदारों सह-कर्जदार/ कर्जदारों /जमानतियों के नाम | मांग सूचना की तिथि तथा राशि | अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण | भौतिक कब्जे की तिथि | आरक्षित मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. श्रीमती रेनू गोयल<br>2. श्रीमती सुरजीत प्रकाश<br>(प्रॉपेक्टस नं 958684,960308) | 08 मई-2024 रु.11,24,284/- (ग्यारह लाख चौबीस हजार दो सौ चौरासी रुपए मात्र)<br>बोली वृद्धि राशि रु.25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) | संपत्ति का समस्त भाग, पहली मंजिल का हिस्सा, बाईं ओर बिना छत के अधिकार के, निर्मित संपत्ति संख्या सं-7, खसरा नंबर 46 में से, गाँव बिंदापुर, कॉलोनी सुभाष पार्क, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, 110059 के क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः निर्मित क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 599.00,479.00 | 13-सितम्बर-2024<br>दिनांक 05-सितम्बर-2024 तक कुल बकाया रु.11,94,366/- (ग्यारह लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियासठ रुपये मात्र) | रु. 18,01,000/- (अठारह लाख एक हजार रुपए मात्र)<br>जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,80,100/-(एक लाख अस्सी हजार एक सौ रुपए मात्र) |
| 1. श्री गंगा सागर जालवी<br>2. श्रीमती सिमा सिंघ चतुर्वेदी (प्रॉपेक्टस नं 769805 एवं 955445) | 24-जून-2022 रु.19,99,946/- (उन्नीस लाख निन्नानवे हजार नौ सौ छियालीस रुपए मात्र)<br>बोली वृद्धि राशि रु.25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) | संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और पार्सल, प्लॉट नंबर ए-64, पश्चिमी तरफ, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, निर्मित सामने की तरफ पहली मंजिल बिना छत/टेरेस के अधिकार के, प्रदबेंट नंबर 201, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से, खसरा संख्या 3/22 और 23 में से 12 गज, प्रवेश/द्वार, सीढ़ी और मार्ग के उपयोग के सामान्य अधिकारों के साथ, गांव मटियाला और कॉलोनी पैनिक नवा, उत्तम नगर, दिल्ली, भारत, 110059 के आरक्षित पार्किंग क्षेत्र में भूतल पर एक छोटी कार पार्किंग की जगह के साथ। (कारपेट क्षेत्र 432 वर्ग फीट) | 28-सितम्बर-2023<br>दिनांक 05-सितम्बर-2024 तक कुल बकाया रु.27,12,274/- (सत्ताईस लाख बारह हजार दो सौ चौहत्तर रुपये मात्र) | रु. 23,57,000/- (तेईस लाख सत्तावन हजार रुपए मात्र)<br>जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,35,700/- (दो लाख पैंतीस हजार सात सौ रुपए मात्र) |
| 1. श्री कृतिज्ञ<br>2. श्रीमती सपनों<br>3. कौशल सोलन<br>(प्रॉपेक्ट संख्या **IL10202780**) | 21-नवंबर-2022 रु. 9,23,859/- (नौ लाख तेईस हजार आठ सौ उनसठ रुपए मात्र)<br>बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) | संपत्ति का समस्त भाग, भूमि संख्या 279, खसरा संख्या - 975 का, क्षेत्रफल 844 वर्ग फीट, मौजा-नवाब गढ़, तहसील विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड, भारत, 248001 | साकेतिक कब्जे की तिथि<br>06-फरवरी-2023<br>दिनांक 05-सितम्बर-2024 तक कुल बकाया रु.11,60,718/- (ग्यारह लाख साठ हजार सात सौ अठारह रुपये मात्र) | रु. 6,00,000/- (छह लाख रुपए मात्र)<br>जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 60,000/- (साठ हजार रुपए मात्र) |

| सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि | ईएमडी की अन्तिम तिथि | ई-नीलामी की तिथि/समय |
|---|---|---|
| 23-अक्टू-2024, 1100 बजे -1400 बजे | 25-अक्टू-2024 को 5 बजे अप. तक | 28-अक्टू-2024, 1100 बजे-1300 बजे |

**भुगतान का माध्यम :** ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किये जाने हैं। भुगतान करने के लिए आपके **https://www.iiflonehome.com/** पर जाना होगी और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। नोट : प्रत्येक सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए भुगतान भिन्न-भिन्न है। सुनिश्चित करें कि आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं। शेष भुगतान के लिए, **https://www.iiflonehome.com>My Bid >Pay Balance Amount** पर लॉगिन करें।

**नियम एवं शर्तें**

1. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अंकित में दी सेवा प्रदाता **https://www.iiflonehome.com/** के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को अपने "निश्चित प्रपत्र" ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त सरकार कार्यालय पर जमा कराना/भेजना होगा।
2. संविदाकार अपने प्रस्ताव "संविदा वृद्धि राशि" के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
3. सफल संविदाकार को एजे द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे।
4. क्रेता को सेस, प्रोफेस्ट स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे नियम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं दरों, बाहन चार्जों का वहन करना होगा।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेनदेन/भुगतान पर टीडीएस अवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी अवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** तथा **https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction** देखने का परामर्श दिया जाता है।
7. अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संपर्कित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : **care@iiflonehome.com**, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 1800 2672 499 से सम्पर्क कर सकते हैं।
8. सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ, सम्पत्ति के निरीक्षण तथा अतिरिक्त संविदा आदि के लिए आईआईएफएल एचएफएल के दोस्तों नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार तक 09:30 बजे से 18:00 बजे के बीच कॉल करें या ई-मेलः- **care@iiflonehome.com** पर लिखें।
9. एतद्वारा उपर्युक्त कॉपर कर्जदारों को मौखिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभूत आस्ति या पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सूचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. एतद्वारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएं हटाने में असफल रहते हैं तो उसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।
11. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।
12. एजी को बिना कोई कारण बताए विविधा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल-एचएफएल के एजी का निर्णय अन्तिम होगा।

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना**

एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसूल किया जायेगा।

**स्थान :** दिल्ली, देहरादून, **तिथि :** 24.09.2024 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

---

## "प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

**(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)**

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

**केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

**फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड** ("कंपनी") का पंजीकृत कार्यालय : 15/38 जी/एफ गीता कॉलोनी, बैंक पोर्शन मदर डेरी, कृष्णा नगर, नई दिल्ली–110031 में स्थित है

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार अर्थात क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" और "हरियाणा" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 17 सितम्बर, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संयम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या रुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

पंजीकृत कार्यालय : 15/38 जी/एफ गीता कॉलोनी, बैंक पोर्शन मदर डेरी, कृष्णा नगर, नई दिल्ली–110031

कृते की ओर से
फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
नीरज खन्ना रघवीर चंद
निदेशक
डीआईएन : 00520483
5/501, एरटर, म्हाडा कॉम्प्लेक्स, ओशिवारा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400053

तिथि : 23.09.2024
स्थान : नई दिल्ली

---

## प्रपत्र सं. आईएनसी–26

**[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]**
**एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन**

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
**आइडियल पीई मैट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U47594DL2023PTC413436)** जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-94, जी/फ्लोर, फेज-2, आया एक्सटेंशन, ख.नं. 525/1, दिल्ली, भारत-110047, में है, के मामले में

..... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए, 14 सितम्बर, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
बी-94, जी/फ्लोर, फेज-2, आया एक्सटेंशन, ख.नं. 525/1, दिल्ली, भारत-110047

**आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से**
**आईडियलपीई मैट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड**
हस्ता./-
**नाम : अरूण लोहिया**
**पदनामः निदेशक**
**DIN: 10245115**

**तिथिः** 18.09.2024
**स्थानः दिल्ली**

---

## varthana वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालयः नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि तीसरी मंजिल, आवटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043 वेबसाइटः www.varthana.com, ईमेलः care@varthana.com, फोनः 080–68455777, शाखा कार्यालयः 1162 और 1163, टॉवर बी –1, 11वीं मंजिल, स्पेज ५ टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना रोड, गुरुग्राम 122018**

### कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स थिरुमनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) गुरुग्राम के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आवेदकों/सह–आवेदकों/बंधकर्ताओं को ऋण खाता संख्या S23GUR026004. में दिनांक 26–06–2024 को एक मांग नोटिस जारी किया। जिसमें 1. मैसर्स. एन बी पब्लिक स्कूल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, कैलाश नगर, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा – 121102। 2. मैसर्स नव भारत शिक्षा समिति, पलवल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्